[illegible] हुई वकील
उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दि 30.1.18 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

30.1.18

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस के लिये समय चाहते हैं अतः वास्ते बहस दि 2-2-18 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

दिनांक 2-2-18

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

2.2.18

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21–02–2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 21–02–2018

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल ओमप्रकाश पुत्र कल्याणसहाय जाति ब्राहमण निवासी अमोलक नगर तहसील महवा ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.29 हैक्टयर के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है। वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। किन्तु दिनांक 2–10–16 को प्रार्थी की आराजी में घुसकर नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया । प्रार्थी के मना करने पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उल्लेख किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1078 से उनका कोई संबंध नहीं है। गैरसायल की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

1077 दोनों की सीमाऐं मिली हुई है। गैरसायल अपनी खातेदारी की आराजी मे निर्माण करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के उदेदश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार ग्राम अमोलक नगर तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 1078 रकबा 29 ऐयर गिरधरलाल ओमप्रकाश भरतलाल पि.कल्याणसहाय जाति ब्राहमण निवासी अमोलक नगर तहसील महवा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध होना नहीं पाया जाता है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण करते है तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को ही होगी।इस प्रकार हम यह पाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे यह स्वीकार किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1078 से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे द्वारा तो हमारी आराजी खसरा नम्बर 1077 में निर्माण किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम अमोलक नगर तहसील महवाकी आराजी खसरा नम्बर 1078 में सायल के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)